न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील: 08/2017

दायर दिनांक: 25.01.2017

निर्णय दिनांक 28.02.2019

—:अनवान:—

श्री मूलसिंह पिता श्री कानसिंह राव उम्र 33 वर्ष निवासी गुगली तहसील आमेट जिला राजसमन्द

————अपीलांट

—:बनाम:—

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ दिनांक 28.011.2016 मु0नं0 412/16 ना.क. सरकार बनाम श्री मूलसिंह

उपस्थित वक्त बहस:—

1— श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—::निर्णय::—

अपीलार्थी ने उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा दिनांक 28.11.2016 को पारित आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.01.2017 को दफा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है।

पटवारी हल्का आईडाणा द्वारा उप तहसीलदार, सरदारगढ के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम गुगली, तहसील आमेट की वर्तमान आराजी नम्बर 427 रकबा 5.280 हैक्टर किस्म चारागाह मे से 0.06 हैक्टर भूमि पर मकान/बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है। अतः इसके विरूद्ध धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कराना फरमावें। उक्त रिपोर्ट पर उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 28.11.2016 को अपीलांट का अतिक्रमण होना मानते हुए बेदखली व शास्ति स्वरूप 50 रूपये आरोपित करने का आदेश पारित किया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है जो कि कानूनन नियमन योग्य है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अवैध आदेश खारीज किये जाने योग्य है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोण्डेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। सर्व प्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा आधिपत्य होना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब एवं साक्ष्य का समुचित अवसर उक्त मामले मे नहीं दिया है। प्रकरण नियमन योग्य है। जिस पर विचार नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा पुराने कब्जे को नियमन करने के लिए निर्देश जारी कर रखे है। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपीलार्थी द्वारा चारागाह भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। जो नियमन योग्य नहीं है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम गुगली तहसील आमेट के आराजी नं0 427 किस्म चारागाह भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित बेदखली का आदेश विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पुर्व अपीलार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश न कर चारागाह भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया बेदखली आदेश न्यायोचित है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि नियमन योग्य होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य सबुत पेश नहीं किये है और न ही ऐसा कोई प्रावधान बताया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

—::आदेश::—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ के द्वारा दिनांक 28.11.2016 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर